



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाइट : www.jrnsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

क्रमांक: प.(01)जरारासंविदि/पीएसएसटी/24/450

दिनांक: 7/11/24

शिक्षाशास्त्री (दो वर्षीय) एवं शास्त्री-शिक्षाशास्त्री (चार वर्षीय) पाठ्यक्रम में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु प्रथम काउन्सलिंग आयोजन की संशोधित सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षाशास्त्री (दो वर्षीय) एवं शास्त्री-शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम (चार वर्षीय) सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन प्रथम काउन्सलिंग हेतु संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार जारी किया जा रहा है-

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1. रजिस्ट्रेशन शुल्क | - | राशि रूपये 5000/- |
| 2. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तिथि | - | दिनांक 08.11.2024 से 16.11.2024 तक |
| 3. महाविद्यालयों का चयन | - | दिनांक 08.11.2024 से 16.11.2024 तक |
| 4. महाविद्यालय आवंटन की सूचना | - | दिनांक 18.11.2024 |
| 5. पाठ्यक्रम शुल्क | - | राशि रूपये 21930/- |
| 6. आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग एवं शुल्क जमा करने की दिनांक | - | दिनांक 18.11.2024 से 25.11.2024 तक |

नोट- 1. पाठ्यक्रम शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया गया है, इसमें वृद्धि एवं अन्य प्राप्त निर्देशों की अनुपालना अभ्यर्थी को करनी होगी।

2. उक्त विज्ञापन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.jrnsanskrituniversity.ac.in, <https://psst2024.jrrsu.in/> पर देखें।

कुलसचिव एवं समन्वयक
PSST, PSSST-2022

दिनांक 7/11/24

क्रमांक पं.(01)जरारासंविदि/पीएसएसटी/23/491-96

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मान. कुलपति महोदय, जरारासंविदि, जयपुर
2. वित्त नियंत्रक, जरारासंविदि, जयपुर
3. प्रभारी वेबसाइट, जरारासंविदि, जयपुर को संबंधित वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. शाखा प्रबन्धक, इण्डियन बैंक, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर को फीस संग्रहण की व्यवस्था हेतु प्रेषित।
5. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, जरारासंविदि, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि PSST, PSSST - 2024 के संबंध में अग्रिम कार्यवाही निर्धारित अवधि में संपादित करना सुनिश्चित करावें।
6. गोपनीय कम्प्यूटर फर्म, को प्रेषित कर लेख है कि PSST, PSSST- 2024 के संबंध में अग्रिम कार्यवाही निर्धारित अवधि में संपादित करना सुनिश्चित करावें।

कुलसचिव एवं समन्वयक
PSST, PSSST-2024



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा—मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाइट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

शिक्षाशास्त्री (दो वर्षीय) एवं शास्त्री-शिक्षाशास्त्री (चार वर्षीय) पाठ्यक्रम में सत्र 2024-25 में

प्रवेश हेतु प्रथम काउन्सलिंग आयोजन की संशोधित सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षाशास्त्री (दो वर्षीय) एवं शास्त्री-शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम (चार वर्षीय) सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन प्रथम काउन्सलिंग हेतु संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार जारी किया जा रहा है—

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1. रजिस्ट्रेशन शुल्क | — | राशि रूपये 5000 /— |
| 2. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तिथि | — | दिनांक 08.11.2024 से 16.11.2024 तक |
| 3. महाविद्यालयों का चयन | — | दिनांक 08.11.2024 से 16.11.2024 तक |
| 4. महाविद्यालय आवंटन की सूचना | — | दिनांक 18.11.2024 |
| 5. पाठ्यक्रम शुल्क | — | राशि रूपये 21930 /— |
| 6. आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग एवं शुल्क जमा करने की दिनांक | — | दिनांक 18.11.2024 से 25.11.2024 तक |

नोट- 1. पाठ्यक्रम शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया गया है, इसमें वृद्धि एवं अन्य प्राप्त निर्देशों की अनुपालना अभ्यर्थी को करनी होगी।

2. उक्त विज्ञापन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.jrrsanskrituniversity.ac.in पर देखें।

ऑनलाईन काउन्सलिंग हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है—

1. परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी शिक्षाशास्त्री अथवा शास्त्री-शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वेबसाइट <https://psst2024.jrrsu.in/> पर अपना लॉग इन करने के पश्चात् उसके स्वयं के द्वारा पूर्व में भरी गई सूचनाओं को देख सकता है।
2. अभ्यर्थी इस बात को विशेष ध्यान रखे कि उसके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार की गलत सूचना नहीं भरी गई हो यदि किसी कारणवश पूर्व में उसके द्वारा कोई तथ्य गलत भर दिया गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी हेल्पलाइन नं. पर वार्ता कर अथवा हैल्पलाइन ईमेल आई डी पर अपनी समस्या वर्णित करते हुए मय संबंधित दस्तावेज भेजकर सही करवा सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होने पर अथवा महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् इसकी जानकारी महाविद्यालय स्तर पर अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त होने पर उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
3. अभ्यर्थी चाहे तो जिलेवार महाविद्यालयों की सूची को देख सकता है।
4. अभ्यर्थी महाविद्यालयों के चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके द्वारा लिये गये विषय उनके द्वारा चयनित किए जा रहे महाविद्यालयों में अध्ययन के लिए उपलब्ध है। इस हेतु महाविद्यालयों की सूची मय अध्ययन विषय पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है।
5. अभ्यर्थी अपनी पसन्द के महाविद्यालयों का चयन प्राथमिकता/वरीयतानुसार करें। महाविद्यालय चयन हेतु विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है। अतः प्रवेश पाने हेतु अधिकतम विकल्पों का चयन करें। सीमित विकल्प देने पर उन्हें उनकी वरीयता क्रम के अनुसार महाविद्यालय का आवंटन नहीं हुआ तो उन्हें इस हेतु आगे अवसर नहीं दिया जायेगा। **अभ्यर्थी को कम से कम 10 महाविद्यालयों का चयन करना अनिवार्य है।**
6. अभ्यर्थी महाविद्यालयों के चयन के समय ही अपने चुने गये विकल्पों के क्रम को आगे दिये गये ऑप्शन बटन के माध्यम से बदल सकते हैं तथा गलत महाविद्यालय का चयन हो जाने पर उसे अपनी वरीयता सूची में से डिलिट कर सकते हैं।
7. महाविद्यालयों की चयन प्रक्रिया को पूरा हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी उन्हें Lock & Save (सुरक्षित) कर काउन्सलिंग शुल्क रूपये 5000 /— दिये गये विकल्पों के माध्यम से जमा करवाकर अपनी चयन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है।
8. अभ्यर्थी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर उसका प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रखें।
9. आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि को अभ्यर्थी के पास नियमानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र/अंकतालिका, जाति, दिव्यांगता, सैनिक, आश्रित, विधवा/ विवाह— विच्छिन्न आदि के



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे तथा साथ ही इन सभी की दो सत्यापित प्रतियां एवं दो फोटो ले जाना अनिवार्य है।

10. आवंटित महाविद्यालयों में परिवर्तन तथा पारस्परिक परिवर्तन किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा।
11. यदि किसी अभ्यर्थी ने महाविद्यालय का आवंटन होने के पश्चात् यदि उसमें प्रवेश नहीं लिया तो यदि भविष्य में काउन्सलिंग होगी तो उसे सम्मिलित करने/न करने के निर्णय का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों में विश्वविद्यालय द्वारा अन्त में विचार किया जावेगा।
12. किसी भी वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
जो अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करने एवं पाठ्यक्रम शुल्क जमा करवाने में असमर्थ रहेंगे उन अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

कुलसचिव एवं समन्वयक
PSST, PSSST-2024